

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 704 / 2013
संस्थित दिनांक 14.11.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
ठीकरी, जिला बड़वानी

—अभियोगी

वि रू द्ध

दयाराम पिता धनसिंह भील, आयु 31 वर्ष,
पेशा—ड्राईवरी, निवासी—ग्राम अम्बापानी,
तहसील राजपुर, जिला बड़वानी

—अभियुक्त

अभियोजन द्वारा एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी
--

अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता — श्री आर. के. श्रीवास

—: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 02-08-2016 को घोषित)

01— आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 246/2013 के आधार पर दिनांक 27.10.2013 को दिन के लगभग 12 बजे बरूफाटक-खजूरी रोड़ के मध्य में पिकअप वाहन क्रमांक एमपी-09-जीएफ-6360 को लोक मार्ग पर उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर सुभाष उर्फ शोभाराम, मनीषा और रीना का जीवन संकटापन्न करने तथा उक्त पिकअप वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर सुभाष उर्फ शोभाराम को टक्कर मारकर उसकी ऐसी परिस्थिति में मृत्यु कारित करने, जो कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है, के कारण भादवि की धारा 279, 304-ए का अपराध विचारणीय है।

02— प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी ही एकमात्र स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28.10.2013 को थाना ठीकरी पर फरियादी रामलाल ने पिकअप वाहन क्रमांक एमपी-09-जीएफ-6360 के चालक के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि, कल दिनांक 27.10.2013 को वह तथा मण्डी निरीक्षक कैलाशचंद्र शर्मा मोटरसाईकिल से निरीक्षण कार्य हेतु बरूफाटक से खजूरी जा रहे थे, बरूफाटक से उनके आगे-आगे उसके जीजा सुभाष उर्फ शोभाराम मोटरसाईकिल से अपनी 2 पुत्रियों मनीषा और रीना को पीछे बिठाकर ले जा रहे थे, तभी खजूरी के आगे, बरूफाटक-खजूरी रोड़ पर खजूरी तरफ से आ रहे पिकअप वाहन क्रमांक एमपी-09-जीएफ-6360 के चालक ने पिकअप को तेज गति एवं

लापरवाही से चलाकर जीजा सुभाष उर्फ शोभाराम की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी, जिससे सुभाष के सिर व गर्दन में चोट आई, वे लोग पास पहुंचे और जीजा शोभाराम व मनीषा और रीना को उठाया, तो जीजा सुभाष के सिर में सीधे तरफ कान के उपर चोट लगने से खून निकल रहा था। पिकअप का ड्राइवर पिकअप को लेकर बरूफाटक तरफ भाग गया था। उसने तथा कैलाशचंद्र शर्मा साधन करके जीजा शोभाराम को ईलाज के लिए ठीकरी अस्पताल लाए, वहां से इंदौर रैफर किया। मनीषा व रीना को चोट नहीं आई तथा सुभाष को ईलाज के लिए भर्ती कराया और भगवानसिंह, दशरथ सरपंच को घटना बताई और साथ लाकर घटना की रिपोर्ट की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 246/2013 दर्ज कर विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, ईलाज के दौरान सुभाष उर्फ शोभाराम की मृत्यु हो जाने के कारण भादवि की धारा 304-ए का अपराध बढ़ाया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए, आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से पिकअप वाहन क्रमांक एमपी-09-जीएफ-6360 मय दस्तावेजों के जप्त किया, शव का परीक्षण कराकर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया।

04- उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्त को भादवि की धारा 279, 304-ए के अंतर्गत अपराध विवरण की विशिष्टियां तैयार की जाकर उसे पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया।

05- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या आरोपी ने घटना दिनांक 27.10.2013 को समय दिन के लगभग 12 बजे बरूफाटक-खजूरी रोड़ के मध्य, लोक मार्ग पर पिकअप वाहन क्रमांक एमपी-09-जीएफ-6360 को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर सुभाष उर्फ शोभाराम, मनीषा और रीना का जीवन संकटापन्न किया ?
ब	क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर, लोक मार्ग पर उक्त पिकअप वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर सुभाष उर्फ शोभाराम की मोटरसाईकिल को टक्कर मारकर उसकी ऐसी परिस्थिति में मृत्यु कारित की, जो कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है ?

- विचारणीय प्रश्नों पर सकारण निष्कर्ष -

06- साक्ष्य के दोहराव को रोकने तथा दोनों ही विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होने से, सुविधा की दृष्टि से इनका एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

07— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन साक्षी फरियादी रामलाल (अ.सा.—4) का कथन है कि घटना लगभग 2 वर्ष पूर्व की है, उस समय वह कृषि उपज मण्डी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था तथा उक्त दिनांक को वह मण्डी निरीक्षक कैलाशचंद्र शर्मा के साथ फिल्ड में बरूफाटक से खजूरी जा रहा था, उनके आगे एक मोटरसाईकिल जा रही थी। मोटरसाईकिल के चालक को, पिकअप वाहन क्रमांक एमपी-09-जीएफ-6360 के चालक ने तेज गति से पिकअप चलाकर टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाईकिल पर बैठे सुभाष और उसकी दोनों पुत्रियां गिर गईं। सुभाष के सिर में चोट आई। घायलों को उठाकर अस्पताल ले गये थे। पिकअप वाहन का चालक वाहन को घटनास्थल से लेकर भाग गया था। पिकअप वाहन को कौन व्यक्ति चला रहा था, वह नहीं देख पाया। उसने घटना की रिपोर्ट प्रपी-6 की पुलिस थाना ठीकरी पर की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने फिर प्रपी-7 का नक्शामौका बनाया था तथा मृतक की लाश का नक्शा पंचायतनामा बनाने के लिए सफीना फॉर्म प्रपी-1 का जारी किया था तथा लाश का नक्शा पंचायतनामा प्रपी-2 का बनाया था, जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

08— बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह उपस्थित अभियुक्त को नहीं जानता है, उसने पिकअप वाहन के चालक को नहीं देखा था। साक्षी की मोटरसाईकिल सुभाष की मोटरसाईकिल से लगभग 50-60 फीट की दूरी पर थी। मोटरसाईकिल से पिकअप की टक्कर आमने-सामने हुई थी। बचाव पक्ष की ओर से दिए गए सुझाव से साक्षी ने स्पष्ट इन्कार किया है कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी अथवा उसने घटना होते हुए नहीं देखी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि मृतक उसके जीजा लगते हैं, साक्षी ने आगे स्पष्ट किया है कि मृतक सुभाष गांव के नाते उसके जीजा लगते थे। वह घायलों को लेकर अस्पताल ठीकरी गया था तथा घटना के अगले दिन रिपोर्ट लिखाई थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि सुभाष को किसी अन्य वाहन ने टक्कर मारी थी अथवा उसने वाहन का नंबर सुभाष को क्लैम दिलाने के लिए असत्य रूप से लिखाया है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

09— अभियोजन साक्षी कैलाश शर्मा (अ.सा.—6) ने भी घटना दिनांक, समय व स्थान पर रामलाल के साथ बरूफाटक की ओर जाना और मोटरसाईकिल के चालक को पिकअप वाहन के चालक द्वारा टक्कर मारने के संबंध में कथन किए हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि पिकअप वाहन के चालक द्वारा मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी तथा टक्कर लगने से मोटरसाईकिल पर बैठा हुआ एक व्यक्ति और 2 छोटे बच्चे गिर गए थे। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन प्रपी-9 के ए से ए भाग पर पिकअप वाहन का क्रमांक एमपी-09-जीएफ-6360 पुलिस को बताया था। साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि घटना के दिन उपस्थित अभियुक्त पिकअप वाहन चला रहा था। साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि वह अभियुक्त को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रामलाल मृतक का रिश्तेदार है और वह लोग घटना होने के बाद पहुंचे थे और उन्होंने घटना होते हुए नहीं देखी।

10— अभियोजन साक्षी मनीषा (अ.सा.-2) तथा साक्षी रीना (अ.सा.-3) ने डेढ़ वर्ष पहले मोटरसाईकिल दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु होने के संबंध में कथन किए हैं। साक्षियों का यह भी कथन है कि उनके पिता की मोटरसाईकिल को पिकअप वाहन ने सामने से टक्कर मारी थी, जिससे उनके पिता के सिर में गम्भीर चोट आई थी और उन्हें मामूली चोट आई थी। साक्षियों का यह भी कथन है कि उन्होंने पिकअप वाहन के चालक व क्रमांक को नहीं देखा था तथा यह भी कथन किया है कि पिकअप वाहन का चालक उसे कैसे चलाकर आ रहा था, यह भी नहीं देखा था। इन साक्षियों को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इन्होंने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना के बाद पुलिस आई थी और घटना के संबंध में पूछताछ की थी। साक्षियों ने कूट परीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने पुलिस कथन क्रमशः प्रपी-4 व 5 में पुलिस को पिकअप वाहन का क्रमांक एमपी-09-जीएफ-6360 बताया था, लेकिन साक्षी मनीषा (अ.सा.-2) ने अभियोजन के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन प्रपी-4 में वाहन तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाने वाली बात पुलिस को बताई थी।

11— बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल ए.बी.रोड़ होकर वहां बहुत सारे वाहन आते-जाते रहते हैं। साक्षियों ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना होने के बाद वे मोटरसाईकिल से गिर गए थे और उन्होंने वाहन का नंबर नहीं देखा था। साक्षियों ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि पुलिस को वाहन तेज गति से चलने की बात भी नहीं बताई थी।

12— अभियोजन साक्षी अमरसिंह (अ.सा.-1), भारत (अ.सा.-5), भगवान (अ.सा.-7) तथा दशरथ (अ.सा.-8) ने भी दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने और उक्त दुर्घटना में सुभाष की मृत्यु हो जाने के संबंध में कथन किए हैं। साक्षी अमरसिंह (अ.सा.-1) को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि मनीषा और रीना ने उन्हें पिकअप वाहन नंबर एमपी-09-जीएफ-6360 के चालक द्वारा तेज गति एवं लापरवाही से पिकअप चलाकर उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मारने के संबंध में बताया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्रपी-3 का कथन देने से भी इन्कार किया है। साक्षी भारत (अ.सा.-5) का कथन है कि पुलिस ने मृतक सुभाष की लाश का नक्शा पंचायतनामाह बनाने के लिए उसे प्रपी-1 का सफीना फॉर्म जारी किया था तथा लाश का पंचायतनामा प्रपी-2 बनाया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी भगवान (अ.सा.-7) ने भी अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि मनीषा ने उसे पिकअप वाहन का नंबर एमपी-09-जीएफ-6360 बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि मनीषा ने पिकअप वाहन के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही

से वाहन को चलाकर उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मारने वाली बताई थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी दशरथ (अ.सा.—8) ने अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उनके इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि साक्षी रामलाल ने उसे बताया था कि पिकअप वाहन क्रमांक एमपी—09—जीएफ—6360 के चालक ने तेजी एवं लापरवाही से पिकअप चलाकर सुभाष की मोटरसाईकिल को टक्कर मारी थी।

13— अभियोजन साक्षी अशोक वर्मा (अ.सा.—10) ने दिनांक 14.11.2013 को पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 246/2013 में जप्त महिन्द्रा पिकअप वाहन क्रमांक एमपी—09—जीएफ—6360 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर उक्त वाहन में कोई भी यांत्रिकीय त्रुटि होना नहीं पाते हुए यांत्रिकीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी—13 को प्रमाणित कराया है।

14— अभियोजन साक्षी डॉ. आर. एस. मुजाल्दा (अ.सा.—9) का कथन है कि उसने दिनांक 01.11.2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी पर थाना ठीकरी के आरक्षक मेहताबसिंह द्वारा लाए जाने पर मृतक सुभाष उर्फ शोभाराम पिता अमरसिंह, आयु 36 वर्ष, निवासी ग्राम जरखड़िया के शव का परीक्षण किया था और मृत्यु का कारण, सिर में आई चोटों का होना पाया था और मृत्यु का समय, परीक्षण से 24 घण्टे के भीतर होना पाया था। चिकित्सक साक्षी ने मृतक के शव परीक्षण के संबंध में दी गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रपी—12 को भी प्रमाणित कराया है। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मृतक को आई जैसी चोटें, मोटरसाईकिल से गिरने पर आना सम्भव है।

15— अभियोजन साक्षी मेहताबसिंह चौहान (अ.सा.—11) का कथन है कि दिनांक 28.10.2013 को थाना ठीकरी पर फरियादी रामलाल की रिपोर्ट के आधार पर पिकअप वाहन क्रमांक एमपी—09—जीएफ—6360 के चालक के विरुद्ध सुभाष उर्फ शोभाराम की मोटरसाईकिल को टक्कर मारने के संबंध में प्रपी—6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके बाद उसने घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी—7 का बनाया था। सुभाष उर्फ शोभाराम की मृत्यु हो जाने के कारण पंचायतनामा बनाने के लिए प्रपी—1 का सफीना फॉर्म जारी किया था और लाश का नक्शा पंचायतनामा प्रपी—2 बनाया था और प्रपी—1 व 2 के सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादी और साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसके पेश करने पर वाहन महिन्द्रा पिकअप क्रमांक एमपी—09—जीएफ—6360 को मय कागजात के आरोपी से प्रपी—14 के अनुसार जप्त किया था।

16— बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि फरियादी ने घटना की रिपोर्ट घटना के एक दिन बाद दर्ज कराई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि फरियादी ने घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर नहीं बताया था अथवा फरियादी ने घटना होते हुए नहीं देखी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि मृतक की पुत्रियों मनीषा और रीना का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया था, क्योंकि उन्हें कोई चोट नहीं आई

थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इन्कार किया है कि साक्षीगण ने कोई कथन नहीं दिए थे अथवा वाहन का नंबर किसी भी साक्षी ने नहीं बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने मृतक के परिवार को क्लैम दिलवाने के लिए प्रकरण में असत्य विवेचना की अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

17— इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी ने आरोपी दयाराम द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर घटना कारित करने वाले वाहन पिकअप क्रमांक एमपी-09-जीएफ-6360 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर उसकी टक्कर मृतक सुभाष उर्फ शोभाराम की मोटरसाईकिल को मारने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किए हैं, यहां तक कि, प्रथम सूचना प्रतिवेदन के साक्षी रामलाल (अ.सा.-4) ने अभियुक्त की पहचान भी घटना के समय उक्त पिकअप वाहन चलाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने ही उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त पिकअप वाहन क्रमांक एमपी-09-जीएफ-6360 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर सुभाष उर्फ शोभाराम, मनीषा और रीना का जीवन संकटापन्न किया और उक्त प्रकार वाहन को चलाते हुए सुभाष की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी, जिससे सुभाष की ऐसी परिस्थिति में मृत्यु कारित हुई, जो कि आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है।

18— अतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचन से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे अपना मामला प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। फलतः यह न्यायालय अभियुक्त दयाराम पिता धनसिंह भील, आयु 31 वर्ष, निवासी ग्राम अम्बापानी, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी को संदेह का लाभ प्रदान कर भादवि की धारा 279, 304-ए के अंतर्गत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त घोषित करता है।

19— अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं तथा अभियुक्त की निरोध अवधि के संबंध में दंप्रसं. की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

20— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन महिन्द्रा पिकअप क्रमांक एमपी-09-जीएफ-6360 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी/सुपुर्ददार के पास अंतरिम सुपुर्दनामे पर मय कागजात के है, जो अपील अवधि पश्चात अपील ना होने पर, उसके पक्ष में स्वतः निरस्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही / —

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

सही / —

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.